संख्याः 946/USDMA/792(2020) TC-2

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून, 27 जनवरी 2022

विषयः कोविड–19 के **New Variant 'Omicron'** के नियत्रंण हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या–40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्याः 933/USDMA/792 (2020)TC-2, दिनांक 22 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या–12 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. राज्य के विद्यालयों (शासकीय, अशासकीय एवं निजी) में कक्षा–10, 11 एवं 12 की भौतिक कक्षाएं (Physical Classes) दिनांक 31 जनवरी, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

2. राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा–1 से कक्षा–9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी एवं भौतिक कक्षाएं (Physical Classes) बन्द रहेंगे।

उक्त आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे। शेष दिशा–निर्देश एवं पत्र संख्या–934/USDMA/792 (2020)TC-2, दिनांक 24 जनवरी, 2022 यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव